पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No. L40101DL1989GOI038121

पावरग्रिड

उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय,बी-9-कुतब इंस्टीट्यूशनल ऐरिया ,कटवारिया सराय ,नई दिल्ली 110016-दूरभाष 26532934
Northern Region-1 Headquarters, B-9 Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai , New Delhi-110016 Tel:(011) 26532934

Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1723/ **Dt.05.02.2019**

सेवा में,

श्री शिव कुमार पुत्र स्व. श्री नसीब सिंह
म. न, 40, विवेकानंद मार्ग, ए-1 ब्लॉक ,
संत नगर, बुराडी, दिल्ली-110084
(मो. न. -7840010464)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2018 के संदर्भ में I

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2018 के अनुसार मांगी गई जानकारी बिंदुवार निम्नवत है :

1. समझौते की प्रतिलिपि संलग्न है |
2. पारेषण लाइन मे बाधित वृक्षों की प्रजाति के अनुसार परिधि कि गणना पावरग्रिड द्वारा की जाती है तदोपरांत स्वामित्व का सत्यापन संबन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है | इसके उपरांत वृक्षों के दर के अनुसार भू स्वामी को मुआवजे का भुगतान किया जाता है | जहाँ तक फसलों के मुवावजे का प्रश्न है, फसलों की उत्पादकता सम्बंधित जनपद के कृषि अधिकारी द्वारा तथा मूल्य दर कृषि अधिकारी/ मंडी समिती / गन्ना समिति द्वारा प्रदान की जाती है तथा क्षतिग्रस्त फसलों के मुवावजे का भुगतान उपरोक्त वर्णित वृक्षों के मुवावजे की भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है |
3. सुगम सिंह पुत्र नसीब सिंह, जसबीर सिंह पुत्र नसीब सिंह एवं रितेश कुमार पुत्र बृजपाल को देय फसल एवं वृक्षों के मुवावजें की कोई धनराशी सरकारी खजाने में पावरग्रिड द्वारा नहीं ज़मा करायी गई है |
4. 400 के० वी० डबल सर्किट देहरादून बागपत पारेषण लाइन के निर्माण में वृक्षों के मुवावजे का भुगतान अक्टूबर 2014 से पहले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर तथा उसके बाद में भू स्वामियों एवं पावरग्रिड द्वारा आपसी समझौते के अनुसार किया गया है |
5. 2010, 2011 में फसल/ वृक्षों के मुवावजे का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया गया है |
6. 2010, 2011 में सिर्फ क्षतिग्रस्त फसल/ वृक्षों का ही मुवावजे का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया गया है, टावर से सम्बंधित कोई मुवावजा नहीं दिया गया है |

7. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वार मुवावजे से सम्बंधित निर्देश नहीं दिया गया | जनपद सहरानपुर के किसानों और पावरग्रिड के साथ हुए समझौते के आधार पर ही जनपद मुजफ्फर नगर में भी मुवावजे का भुगतान किया गया | समझौते कि प्रति संलग्न है |

8. मुवावजा कार्य के दौरान सिर्फ क्षतिग्रस्त फसल/पेडो का दिया जाता है | **मुआवजे राशी से सम्बंधित जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नही दे सकते है |**

9. पावरग्रिड द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है एवं पावरग्रिड को पारेषण लाइन के निर्माण के यूजर्स राइट्स है | इसलिए मुवावजे का भुगतान भारतीय तार अधिनियम 1885 तथा विध्युत अधिनियम 2003 के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

The details of First Appellate Authority
Shri H.K.Mallick, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., B-9, Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Phone No.011-26560203

कृप्या इसकी पावती भेंजे |

धन्यवाद |

भवदीय

आलोक

[आलोक]
मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम्)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO:Chief GM (Vigilance), NR-I: for information, please.
Shri K.S.Pandey, DGM, Roorkee: for information and records, please.